जीएसटी पर कार्यशाला आयोजित

जीएसटी से होगा वस्तुओं एवं सेवाओं का स्मूथ ट्रेड - जिला कलक्टर

जीएसटी स्थानीय व्यवसायों को देगा विश्व स्तरीय पहचान

अजमेर, 03 जुलाई। जिला कलक्टर श्री गौरव गोयल की अध्यक्षता में सोमवार को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर कार्यशाला आयोजित हुई। इसमें उन्होंने कहा कि जीएसटी से वस्तुओ और सेवाओं का ट्रेड स्मूथ होगा। साथ ही जीएसटी राज्य के स्थानीय व्यवसायों को विश्व स्तरीय पहचान देगा।

कार्यशाला में अजमेर जिले के उद्यमियों, व्यापारियों एवं उत्पादकों की जीएसटी के संबंध में जिज्ञासाओं का समाधान किया गया। जीएसटी के उपयोग में आने वाली व्यवाहरिक कठिनाइयों का निराकरण विभागीय अधिकारियों एवं मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा किया गया।

श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न व्यापारिक संगठनों एवं प्रतिनिधियों के द्वारा दिए गए सुझावों तथा कठिनाइयों से उच्च स्तर पर अवगत कराया गया है। मुख्यमंत्री के द्वारा जीएसटी के अन्तर्गत मार्बल एवं ग्रेनाइट के कर के संबंध में जीएसटी काउंसिल को प्रकरण विचारार्थ भेजा गया है। मुख्यमंत्री एवं सरकार मार्बल व्यवसाय के उत्तरोत्तर वृद्धि की मंशा के साथ कार्य कर रही है। जीएसटी काउंसिल की आगामी बैठक में इसे विचारार्थ भेजा गया है।

उन्होंने कहा कि जीएसटी के संबंध में व्यवसायों के सुझावों का सरकार द्वारा हमेशा स्वागत किया जाएगा। इससे कर तंत्रा को सरल बनाने में सहयोग मिलेगा। जीएसटी के संबंध में किसी प्रकार की शंका की आवश्यकता नहीं है। जीएसटी के दारा स्थानीय व्यवसायों को विश्व स्तरीय पहचान मिलेगी। स्थानीय उत्पादन का उपयोग विश्व के विभिन्न भागों में अलग-अलग नामों से किया जाता है। जीएसटी से इस उत्पाद को विश्व के उपभोक्ता भारतीय नाम से भी जानेगें। अन्य देशों के उपभोक्ताओं के द्वारा इनका उपयोग करने से स्थानीय उत्पादकों को लाभ मिलेगा। जीएसटी का सिस्टम अभी प्रारम्भिक अवस्था में है। इसका प्रभाव परिलक्षित होने में कुछ समय लगेगा। शुरूआती स्तर पर कार्य करने में कुछ कमी रह सकती है। सरकार के साथ व्यवसायियों एवं नागरिकों के सहयोग से भारत एक विश्व स्तरीय अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

कार्यशाला में समस्याओं के समाधान के दौरान बताया गया कि रिवर्स चार्ज तथा सामान की बिक्री के लिए एक ही बिल बुक होगी। बिल बुक में बिल नम्बर हस्तलिखित नहीं होना चाहिए। अपंजीकृत व्यापारी से प्रतिदिन 5 हजार रूपए तक का माल खरीदने पर टेक्स नहीं देना होगा। इससे अधिक माल की खरीददारी पर दिए गए टेक्स का सामान बेचते समय इनपुट मिलेगा। डेबिट नाट और क्रेडिट नाट के लिए पूरक इनवाइस जारी होंगे। वास्तविक इनवाइस के समय इन पूरक इनवाइस की जानकारी देनी होगी।

वाणिज्यक कर विभाग के उपायुक्त श्री दिनेश गुप्ता ने बताया कि एक जुलाई से सम्पूर्ण देश में वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) लागू हुआ। कार्यशाला के माध्यम से जीएसटी से जुड़ी शंकाओं का समाधान किया गया। विभागीय अधिकारियों द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि जीएसटी लागू होने से व्यापारियों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। विभाग द्वारा पूर्व की भांति सहयोग बनाए रखा जाएगा।

इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री किशोर कुमार, श्री अबु सूफियान चैहान, सहायक कलक्टर श्रीमती श्वेता यादव, कोषाधिकारी श्री मनोज शर्मा, वाणिज्यक कर अधिकारी महेन्द्र सिंह राठौड़, मास्टर ट्रेनर कविता चाण्डक एवं शारदा यादव , लघु उद्योग भारती के सुरेन्द्र लोढ़ा, अजमेर लघु उद्योग संघ के अध्यक्ष श्री सुगन सिंह गहलोत, पूर्व अध्यक्ष राजेश बंसल, अजमेर होल सेल मर्चेंट एसोशिएसन के अध्यक्ष सरदार योगेन्द्र सिंह, मार्बल एसोशिएसन किशनगढ़ के श्री संपत शर्मा उपस्थित थे